अति महत्वपूर्ण
संख्या–CM-91/नौ–9–2021–170ज/06टी0सी0

प्रेषक,

अनिल कुमार–III,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,** नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. **समस्त नगर आयुक्त,** नगर निगम उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–9 **लखनऊ : दिनांक 11 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2021**

विषय–प्रदेश में कई स्थानों पर नागर निकायों द्वारा की जा रही अवैध वसूली के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–मुख्य/326/(अ0मु0स0)चौंतीस–3/अधि0/2021, दिनांक–25.08.2021 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रदेश में कई स्थानों एवं सड़कों पर नागर निकायों द्वारा अवैध वसूली करायी जा रही है। ऐसे सभी स्थानों पर 02 दिन में गहनता से जाँच कराकर इस प्रकार की अवैध वसूली को रोके जाने एवं यदि इसके बाद भी ऐसा होता पाया जाता है तो नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद के सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी तथा नगर निगम के सम्बन्धित जोनल अधिकारी को निलम्बित कर उनके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–1723/नौ–9–2021–170ज/06टी0सी0, दिनांक–25.08.2021 द्वारा नागर निकायों में अवैध रूप से संचालित पार्किंग स्थलों के बन्द कराने तथा आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के बिना सड़क की पटरी आदि पर संचालित पार्किंग स्थलों के निरस्तीकरण हेतु समस्त निकायों को निर्देश निर्गत किये गये हैं। शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश में कई स्थानों एवं सड़कों पर नागर निकायों द्वारा अवैध वसूली करायी जा रही है।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागर निकायों में कई स्थानों एवं सड़कों पर की जा रही अवैध वसूली के सम्बन्ध में 02 दिन में गहनता से जाँच कराकर इस प्रकार की अवैध वसूली को रोका जाए। यदि इसके बाद भी ऐसा होता पाया जाता है तो सम्बन्धित नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी, नगर निगम के जोनल अधिकारी के नाम/पदनाम की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निलम्बित कर उनके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,

(अनिल कुमार–III)
सचिव।

RATNAKAR GOS NEWLY JULY 2021

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. सहायक वेबमास्टर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित कुमार सिंह)
विशेष सचिव।